

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प. 8(2) राज/वाद/12

जयपुर दिनांक 29-07-2020

: आदेश :

विधि एवं विधिक कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(3)न्याय/2010 दिनांक 05.06.2020 के क्रम में इस विभाग के आदेश क्रमांक प.8(2) राज/वाद/12 पार्ट-1 दिनांक 16.04.19 में आंशिक संशोधन करते हुए क्र0सं 25 से 30 में उल्लेखित विशिष्ट लोक अभियोजकों का नाम निम्नानुसार परिवर्तित किया जाता हैः—

क्र0सं0	विशिष्ट लोक अभियोजक का वर्तमान नाम	विशिष्ट लोक अभियोजक का परिवर्तित नाम
1	2	3
25	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं0 1, जयपुर महानगर	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं0 1, जयपुर महानगर— प्रथम
26	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं0 2, जयपुर महानगर	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं0 2, जयपुर महानगर— प्रथम
27	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं0 3, जयपुर महानगर	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं0 3, जयपुर महानगर— प्रथम
28	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं0 4, जयपुर महानगर	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं0 1, जयपुर महानगर— द्वितीय
29	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं0 5, जयपुर महानगर	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं0 2, जयपुर महानगर— द्वितीय
30	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं0 6, जयपुर महानगर	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं0 3, जयपुर महानगर— द्वितीय

आज्ञा से,

28/07/2020


(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशेषाधिकारी (जी.एस.वार्ड.) माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. निदेशक, अभियोजन राजस्थान, जयपुर।

निरन्तर/-

5. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम/द्वितीय।
6. संबंधित विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005,
7. जिला कलक्टर, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, विधि।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
10. कोषाधिकारी, जयपुर।
11. संबंधित कार्यालय।
12. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
13. सहायक लेखाधिकारी, विधि (वादकरण) विभाग।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।



(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार विधि एवं विधिक कार्य विभाग (राजकीय वादकरण)

क्रमांक प. 8(2) राज/वाद/12

जयपुर दिनांक 29-07-2020

: आदेश :

विधि एवं विधिक कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(3)न्याय / 2010 दिनांक 05.06.2020 के कम में कॉलम सं0 2 के अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक का नामकरण कॉलम सं03 में वर्णितानुसार परिवर्तित किया जाता है:-

19	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं018, जयपुर महानगर	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं09, जयपुर महानगर द्वितीय
20	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं020, जयपुर महानगर मुख्यालय चौमूँ।	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं010, जयपुर महानगर द्वितीय मुख्यालय चौमूँ।

आज्ञा से,


 (हुकम सिंह राजपुरोहित)
 शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशेषाधिकारी (जी.एस.वाई.) माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, विधि।
4. निदेशक, अभियोजन राजस्थान, जयपुर।
5. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर—प्रथम / द्वितीय।
6. संबंधित अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, ——————।
7. जिला कलक्टर, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, विधि।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय—5) विभाग।
10. कोषाधिकारी, जयपुर।
11. संबंधित कार्यालय।
12. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
13. सहायक लेखाधिकारी, विधि (वादकरण) विभाग।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।



(हुकम सिंह राजपुरोहित)
 शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प. 8(2) राज / वाद / 12

जयपुर दिनांक 29-07-2020

: आदेश :

विधि एवं विधिक कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(3)न्याय / 2010 दिनांक 05.06.2020 के क्रम में विशेष न्यायालय (जाली नोट प्रकरण), जयपुर में राज्य की ओर से पैरवी हेतु स्वीकृत विशेष लोक अभियोजक(जाली नोट प्रकरण), जयपुर का नाम विशिष्ट लोक अभियोजक(जाली नोट प्रकरण), जयपुर महानगर (प्रथम) परिवर्तित किया जाता है।

आज्ञा से,


(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशेषाधिकारी (जी.एस.वाई.) माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, विधि।
4. निदेशक, अभियोजन राजस्थान, जयपुर।
5. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर— प्रथम / द्वितीय।
6. विशेष न्यायालय (जाली नोट प्रकरण), जयपुर महानगर—प्रथम।
7. जिला कलक्टर, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, विधि।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
10. कोषाधिकारी, जयपुर।
11. संबंधित कार्यालय।
12. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
13. सहायक लेखाधिकारी, विधि (वादकरण) विभाग।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।


(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प. 8(2) राज/वाद/12

जयपुर दिनांक 29-07-2020

: आदेश :

विधि एवं विधिक कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(3)न्याय/2010 दिनांक 05.06.2020 के क्रम में कॉलम सं0 2 में वर्णित विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक (महिला उत्पीडन) का नाम कॉलम सं0 3 में वर्णितानुसार परिवर्तित किया जाता है:-

क्रमांक	अपर लोक अभियोजक का वर्तमान नाम	विशिष्ट लोक अभियोजक का परिवर्तित नाम
1	2	3
1	विशिष्ट लोक अभियोजक(महिला उत्पीडन) प्रकरण सं01, जयपुर महानगर	अपर लोक अभियोजक, महिला उत्पीडन प्रकरण, जयपुर महानगर- ।
2	अपर लोक अभियोजक(महिला उत्पीडन) प्रकरण सं02, जयपुर महानगर	अपर लोक अभियोजक, महिला उत्पीडन प्रकरण, जयपुर महानगर- ॥

आज्ञा से,

३०
(हुक्म सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशेषाधिकारी (जी.एस.वाई.) माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, विधि।
4. निदेशक, अभियोजन राजस्थान, जयपुर।
5. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम/द्वितीय।
6. अतिरिक्त सेशन न्यायालय, महिला उत्पीडन प्रकरण, जयपुर महानगर-प्रथम/द्वितीय।
7. जिला कलक्टर, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, विधि।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
10. कोषाधिकारी, जयपुर।
11. संबंधित कार्यालय।
12. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
13. सहायक लेखाधिकारी, विधि (वादकरण) विभाग।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।


(हुक्म सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि